फर्द अहकाम

जोधन बनाम मामन सिंह वगै.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या ..../[redacted] 204/2011 शाहपुरा T.R.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/6/26	पत्रावली आज पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि मूल वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसका निस्तारण साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात व विवाद्यक बिन्दु के आधार पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों मे अनावश्यक विवाद ना बढ़े. इसलिए प्रकरण में वर्णित तथ्यो एवं प्रकरण की परिस्थितियो को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 28/3/2001 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद स्थायी/कन्फर्म किया जाना उचित समझते है। अतः न्यायालय आदेश दिनांक 28/3/2001 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद स्थाई/कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं मूल वाद के शामिल हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.	